शिक्षित करो! संगठित करो!! संघर्ष करो!!!

भारत मुक्ति मोर्चा

केंद्रीय कार्यालय:– 5709/80, रैगरपूरा, करोलबाग, नई दिल्ली–110 005. दूरध्वनी–9868118586, 9415305602

जाति आधारित गिनती और ओबीसी की जाति आधारित गिनती ना करने के विरोध में दिनांक 21 अगस्त 2011 को 29 राज्यों में, 511 जिलों में और 3500 तहसिलों मे प्रदर्शन रैली एवम्

दिनांक 1 सितंबर 2011 को सुबह 11.00 बजे राष्ट्रव्यापी महारैली

स्थान : रामलीला मैदान, नई दिल्ली

उद्घाटक : **मा. एच.डी.देवेगौडा** (भूतपूर्व प्रधानमंत्री)

विशेष अतिथि : **मा. शरद यादव** (राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनता दल युनाईटेड, राष्ट्रीय संयोजक एन.डी.ए.)

: **मा. रामविलास पासवान** (सांसद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी)

: **मा. गोपीनाथ मुंडे** (सांसद एवं घुमंतू जातियों के नेता, महाराष्ट्र)

: **मा. रघु ठाकुर** (पिछडे वर्ग नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी)

प्रमुख उपस्थिति : मा. राणेंद्र सौई (भूतपूर्व केबिनेट मंत्री, ओडिसा)

: मा. कैप्टन जयनारायण निषाद (सांसद, बिहार)

: मा. सत्यपाल चौधरी (राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान लिबरेशन फ्रंट)

: मा. जयनारायण चोकसे (राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय हयहय कल्चोरी कलार, समाज म.प्र.)

: मा. हकूमसिंह देशराजन लोधी (राष्ट्रीय महासचिव भारतीय लोधी महासभा)

: मा. इंद्रराजसिंह सैनी (राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय सैनी सेवा समाज, नई दिल्ली)

: मा. यशपाल मलिक (राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति)

: मा. डॉ. एम. ऐजाज अलि (राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया युनाईटेड मुस्लिम मोर्चा, बिहार)

: मा. अखिलेश कटियार (कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, शोषित समाज दल)

: मा. शिवदान मेघवाल (सामाजिक कार्यकर्ता, राजस्थान)

: मा. प्रो. गुरुनाम सिंह मुक्तसर (पंजाब)

अध्यक्षता :– मा. वामन मेश्राम (राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत मुक्ति मोर्चा)

१) जाति आधारित गिनती पर संसद में आम सहमति:– 6 और 7 मई, 2010 को लोकसभा में जाति आधारित गिनती पर सहमति हो गई थी। सभी पार्टिओं ने मिलकर लोकसभा में 9 फरवरी, 2011 को होनेवाले गिनती में जाति को आधार बताया जाएगा और गिनती की जाएगी इस पर आम सहमति हो गई थी।

२) आम सहमति का उल्लंघन:– 9 फरवरी 2011 को केंद्र सरकार ने जब गिनती शुरु की तो गिनती में जाति को शामिल करने के लिए सरकार ने इन्कार किया और ऐसा करके लोकसभा में जो आम सहमति हो गई थी उस आम सहमति का केंद्र सरकार ने उल्लंघन किया, यह बहुत गंभीर मामला है।

३) गिनती 1 जून से होगी यह सरकार का आश्वासन:– केंद्र सरकार ने लोगों की दबाव की वजह से 1 जून, 2011 से गिनती की जाएगी ऐसा आश्वासन दिया था। इसलिए केंद्र सरकार ने मई महिने में मंत्रिमंडल की मीटिंग में निर्णय लेकर घोषणा की, लेकिन 1 जून से सरकार ने गिनती शुरु ही नहीं की। देशभर में हमने जब जानकारी इकठ्ठा की, तो किसी भी राज्य में और जिलों में गिनती हो रही हो, ऐसा कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया और इतना ही नहीं कि, 1 जून से गिनती शुरु हुई ऐसी किसी अखबार में खबर तक नहीं आयी। इससे यह सिद्ध होता है कि, केंद्र सरकार जाति आधारित गिनती करना ही नहीं चाहती है।

४) केंद्र सरकार की धोखाधड़ी:– 6 और 7 मई, 2010 को लोकसभा में आम सहमति के बाद प्रणव मुखर्जी ने बायोमैट्रिक तरिके से गिनती करने की बात कही। यह सरकार की धोखाधड़ी थी। बायोमैट्रिक तरिके से की जानेवाली गिनती में 14 साल तक के बच्चों की गिनती नहीं होगी। इसलिए उसको गिनती नहीं कह सकते। इस पर लोकसभा में हंगामा हुआ और केंद्र सरकार को यह घोषणा पीछे लेनी पड़ी। 9 फरवरी, 2011 से गिनती की जाएगी ऐसा घोषित किया था, लेकिन यह भी नहीं किया गया और अगली बार जाति आधारित गिनती होगी, लेकिन नरेगा के मजदूरों से उनकी गिनती की जाएगी और उसमें कागज, पेन, पेन्सिल का उपयोग नहीं होगा। आंकड़ों के व्हेरिफिकेशन के लिए कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं होगा। यह गिनती जनगणना नियम 48 की तहत नहीं होगी और इसमें केवल गरीबी के आंकड़े इकठ्ठा किये जाएंगे और इसमें सामाजिक,आर्थिक, शैक्षणिक आंकड़े इकठ्ठा नहीं किए जाएंगे। ऐसा सरकार की घोषणा के अनुसार लगता है। इससे सिद्ध होता है कि सरकार ने जाति आधारित गिनती के साथ धोखाधड़ी करने का निर्णय किया है।

(५) ओबीसी के जाति आधारित जनगणना के साथ धोकेबाजी करने की षड्यंत्र नीति का धिक्कार। **(६)** जाति आधारित जनगणना ना करने की नीति का धिक्कार।

(७) ओबीसी पर क्रीमिलेयर लगाकर संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की नीति का धिक्कार। **(८)** विदेशी विश्वविद्यालय तथा विदेशी नीजि विद्यालयों को भारत में लाकर मूलनिवासी बहुजनों को शिक्षा से वंचित करने की नीति का धिक्कार।

(९) ३८ करोड़ (अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और धर्म परिवर्तीत) मूलनिवासी बहुसंख्यांक लोगों को भूखमरी के कगार पर पहुँचाने की नीति का धिक्कार। **(१०)** किसानों की जमीन हड़पने के नाम पर विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (स्पेशल इकॉनोमिक जोन) एस.ई.जेड नीति का धिक्कार। **(११)** सरकार व्दारा आरक्षण में पदोन्नती समाप्त करने की नीति का धिक्कार। **(१२)** रेणके कमिशन रिपोर्ट जारी करने एनटी/डीएनटी/वीजेएनटी और एससी./एसटी. के बीच झगड़ा लगाने जैसे षड्यंत्रकारी नीति का धिक्कार। **(१३)** भारत में लगभग २२ करोड़ वेंडर, फेरीवाले, सब्जीवाले, खोकेवाले, पटरीवाले, पैठबाजार से अपनी रोजी–रोटी कमानेवाले, मूलनिवासी बहुजन समाज को बेरोजगार एवं मजबूर बनाए रखने की नीति का धिक्कार। **(१४)** चुनाव के बाद सच्चर कमिशन को लागू करने से इन्कार करना शासक जातियों का मुसलमानों के साथ धोखेबाजी करने की नीति का धिक्कार।**(१५)** अनुसूचित जाति, जनजाति तथा ओबीसी को अन्य राज्यों में जाति प्रमाण–पत्र निर्गत ना करने की नीति का धिक्कार। **(१६)** महिला आरक्षण के नाम पर सशक्तिकरण नहीं, बल्कि सारे महिलाओं को गुलाम बनाने की नीति का धिक्कार। इस बात को ध्यान में रखते हुए **इस धोखाधड़ी के विरोध में राष्ट्रव्यापी विरोध करने के लिए दि. 21 अगस्त को 29 राज्यों, 511 जिलों, 3500 तहसिलों में प्रदर्शन रैलियों का आयोजन किया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर की महारैली का दि. 1 सितंबर को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में आयोजन किया गया है।** इस रैली को सफल बनाने के लिए तन–मन–धन के साथ सहयोग करें।

निवेदक

सुनिल बोरसे (राष्ट्रीय महासचिव व्यवस्थापन, भारत मुक्ति मोर्चा) मो.– 09425012851

एड. जोहर सिंह कश्यप (राष्ट्रीय महासचिव संगठन, भारत मुक्ति मोर्चा) मो.– 09415305602

अल्लाउद्दीन मकानदार (सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी, भारत मुक्ति मोर्चा) मो.– 09730484931

जितेंद्र कुमार (कार्यकारिणी सदस्य भारत मुक्ती मोर्चा) मो.–९९९९९२८८३४

printed @ chhatrapati printers ph - 02026812932